मुख्य अभियंता का कार्यालय,
समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन,
ब्लॉक– A/308, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना–800002
E-mail:-ceppcellpat@gmail.com

संचिका संख्या– 02 / स्था०–42 / 2025– पटना, दिनांक– ..../......../2026

आदेश

जिला पदाधिकारी, –सह– अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति, पटना की अध्यक्षता में संपन्न जिला अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के ज्ञापांक–VI-52/2025- 3815/स्था0 पटना दिनांक–31.12.2025 के क्रमांक–01 (05) पर अंकित एवं विभागीय पत्रांक–3/स्था0–15 (अनुकम्पा)–01/2026–1610 दिनांक–09.04.2026 की ''कंडिका–03'' पर दिये गये निदेश के आलोक में स्व० नृपेन्द्र कुमार, भूतपूर्व उच्च वर्गीय लिपिक, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमण्डल–2, पटना के आश्रित पुत्र श्री आकाश राज, ग्राम/मोहल्ला–आई. ओ. सी. के पीछे नई दशरथ आदर्श नगर पटना, रोड नं–11, फुलवारी, पटना, बिहार पिन–800002 को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सातवाँ वेतन पुनरीक्षण के पे मैट्रिक्स के स्तर–2, वेतनमान 19900–63200 में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर अधोलिखित शर्तो के अधीन पूर्णतः औपबंधिक/अस्थाई रूप से निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है :–

(2) इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी के अधीन है तो इनकी वरीयता उसके बाद होगी।

(3) श्री आकाश राज पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण–पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायगा। उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई भी की जा सकती है।

(4) अगर इनकी नियुक्ति आरक्षित कोटे के रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध हुई है तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रेनीत कर दिया जायेगा।

(5) नियुक्त पद पर योगदान करते समय श्री आकाश राज को शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, असैनिक–शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र तथा दहेज नहीं लेने एवं देने तथा मद्यपान नहीं करने संबंधी तथा स्व० नृपेन्द्र कुमार के आश्रितों का भरण–पोषण करने संबंधी घोषणा पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् ही योगदान स्वीकार किया जायगा जिसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी इस कार्यालय के साथ विभाग को भी देंगें।

(6) यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की प्रत्याशा में अभ्यर्थी/आश्रितों द्वारा समर्पित शपथ पत्र/सत्यापन प्रपत्र, शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अंकित सूचनाओं के आधार पर की जा रही है। भविष्य में किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर भी इन्हें सेवा से विमुक्त किया जा सकता है एवं नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई भी की जाएगी।

(7) नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान करने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने–जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। वेतनादि का भुगतान नवपदस्थापित कार्यालय में योगदान की तिथि से देय होगा।

(8) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–11462 दिनांक–24.08.2016 के आलोक में परीवीक्षा अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा उनके संवर्ग हेतु विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(9) इन्हें विभाग द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

कृ0पृ0उ0

(10) अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(11) विभाग द्वारा विपरीत आदेश प्राप्त होने पर नियुक्ति की तिथि से सेवा समाप्त समझी जायेगी।

(12) इस पत्र में भूल अथवा टंकण आदि त्रुटि परिलक्षित होने पर इसे तदनुसार संशोधित किया जायगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(राजेश कुमार गुप्ता)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक–02/स्था०–42/2025– पटना, दिनांक– ..../......../2026

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, –सह– अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति, पटना को उनके ज्ञापांक– VI-52/2025- 3815/स्था0 पटना दिनांक–31.12.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक–02/स्था०–42/2025– पटना, दिनांक– ..../......../2026

प्रतिलिपि– उप सचिव, (प्रभारी प्रशाखा–3) जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक–02/स्था०–42/2025– पटना, दिनांक– ..../......../2026

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमण्डल–2, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक–02/स्था०–42/2025– पटना, दिनांक– ..../......../2026

प्रतिलिपि– श्री आकाश राज, ग्राम/मोहल्ला–आई. ओ. सी. के पीछे नई दशरथ आदर्श नगर पटना, रोड नं–11, फुलवारी, पटना, बिहार पिन–800002 को उनके अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपना योगदान मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, जल संसाधन विभाग, पटना कार्यालय में समर्पित करें, अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात् योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

ह0/–

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक–02 / स्था०–42 / 2025– 439 पटना, दिनांक– 13 / 04 / 2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/04/26

मुख्य अभियंता

13/04/26